

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या / 51 / 2023 वाद

दायर दिनांक 28.06.2023

उनवान

1. डालू पिता बेणीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. कंचन पुत्री घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ख्याली पुत्री घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. माधु पुत्र घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शान्ती पुत्री घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. बैंक मैनेजर, बड़ौदा राज०क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा-हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बैंक मैनेजर, एचडीएफसी बैंक लि. शाखा-कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट
एकतरफा

-वादी
-प्रतिवादी सं० 1 से 4 व 6, 7

-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-


निर्णय दिनांक: 17.09.2025

-:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि यह कि ग्राम कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन के हल्के बैरुनी मे संयुक्त खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है जो हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं०-115 से दर्ज आराजी सं०-2748 रकबा 0.30 हैक्टर, आराजी नं.-2749 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.41 हैक्टर तथा खाता सं. 118 से दर्ज आराजी संख्या 2751 रकबा 0.56 हैक्टर, आ०स० 2945/2754 रकबा 0.02 हैक्टर आ.चा. कुल किता 02 कुल रकबा 0.58 हैक्टर स्थित है। व प्रार्थना की कि बंटवाडा आराजी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमावे कि वाद कालम एक मे वर्णित आराजीयात में से वादी का दोनो खाता सं. 115 व 118 में से 1/2 - 1/2 हिस्सा मिट्स एण्ड बॉण्ड के अनुसार वंटवाडा कर अलग जमाबन्दी व लगानबन्दी दर्ज कराई जाना फरमावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6, 7 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 24.07.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 20.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा०फा० की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कीरखेडा उर्फ भगवतनगर पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के जमाबन्दी दर्ज खाता सं०-115 से दर्ज आराजी सं०-2748 रकबा 0.30 हैक्टर, आराजी नं.-2749 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.41 हैक्टर तथा खाता सं. 118 से दर्ज आराजी संख्या


सहायक कलेक्टर
(संयुक्त खातेदारी)

2751 रकबा 0.56 हैक्टर, आ०स० 2945/2754 रकबा 0.02 हैक्टर आ.चा. कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.58 हैक्टर स्थित है, मैं तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है—

खाता संख्या 118

1. डालु पुत्र वेणीराम जाति जाट सा० हथियाना रहन HDFC बैंक शाखा कपासन

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	2751/1	0.28	बारानी 2
योग	कुल कित्ता-01	0.28	

2. माधु पुत्र घीसा जाति जाट सा० देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	2751/2	0.28	बारानी 2
योग	कुल कित्ता-01	0.28	

3. डालु पुत्र वेणीराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा० हथियाना, माधु पुत्र घीसा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार, रहन HDFC बैंक शाखा कपासन हिस्सा डालु, रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना हिस्सा माधु

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	2945/2754	0.02	आ०चा०
योग	कुल कित्ता-01	0.02	

खाता संख्या 115

1. डालु पुत्र वेणीराम जाति जाट सा० हथियाना रहन HDFC बैंक शाखा कपासन

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	2748/1	0.15	बारानी 3
2	2749/1	0.055	बारानी 3
योग	कुल कित्ता-02	0.205	

2. माधु हिस्सा 2/5, कंचन हिस्सा 1/5, ख्याली हिस्सा 1/5, शान्ति हिस्सा 1/5 पिता घीसा जाति जाट सा० हथियाना रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हथियाना हिस्सा माधु

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	2748/2	0.15	बारानी 3
2	2749/2	0.055	बारानी 3
योग	कुल कित्ता-02	0.205	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सहायक कपासन)
सहायक कपासन व
उपसहायक अफिकारी कपासन